PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

27/01/2025 से 02/02/2025 तक

THE HINDU

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. दुराहे पर खड़ा भारत : जनसंख्या में वृद्धि और घटता कुल प्रजनन दर. 1
2. भारत और अमेरिका : द्विपक्षीय संबंधों में नीतिगत परिवर्तनों का असर......3
3. भारत में मौलिक अधिकार बनाम आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा......6
4. वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024......9
5. भारत के नौकरशाही में लेटरल एंट्री बनाम कड़ी प्रतिस्पर्धा......11
6. संप्रभु संपदा निधि : भारत के आर्थिक विकास का नया मार्ग 13

PLUTUS IAS

दुराहे पर खड़ा भारत : जनसंख्या में वृद्धि और घटता कुल प्रजनन दर

खबरों में क्यों ?

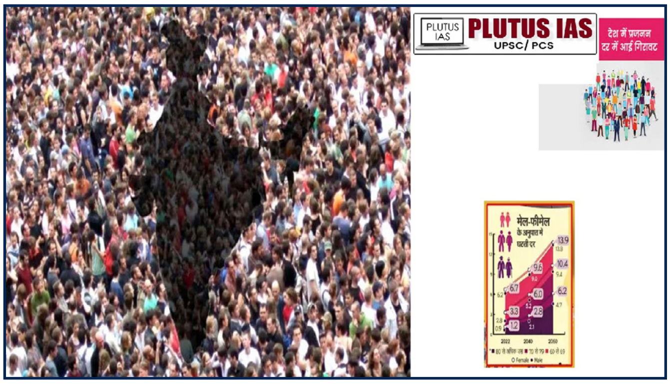

- हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी (GBD) से यह जाहिर हुआ है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में काफी कमी आई है।
- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में इस कमी के परिणामस्वरूप, भारत में विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष :

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं –

1. **भारत की प्रजनन दर में गिरावट होना :** भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 1950 के दशक के 6.18 से घटकर 2021 में 1.9 हो गई है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से भी कम है। अनुमान है कि 2100 तक यह दर और गिरकर 1.04 पर पहुँच जाएगी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक महिला के लिए औसतन एक ही बच्चा होगा।
2. **भारत के भिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंतर का होना :** दक्षिणी राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ने पहले ही उत्तरी राज्यों की तुलना में प्रतिस्थापन-स्तर की प्रजनन दर प्राप्त कर ली है। विशेषकर, केरल में 2036 तक वृद्ध जनसंख्या बच्चों से अधिक हो सकती है। उच्च श्रम मजदूरी और जीवन की गुणवत्ता जैसे कारणों से प्रवासी श्रमिकों की संख्या 2030 तक 60 लाख तक पहुँचने का अनुमान है।
3. **महिला सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक कारक :** महिला साक्षरता, कार्यबल में उनकी भागीदारी, और महिला सशक्तिकरण ने प्रजनन दर में गिरावट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसके अलावा, विवाह और मातृत्व में देरी या गर्भ धारण में परहेज करने जैसे बदलते दृष्टिकोण भी इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं।
4. **बदलते सामाजिक प्रतिमान, स्वास्थ्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण और प्रवासन का होना :** पुरुषों और महिलाओं में बांझपन के मामलों में वृद्धि और गर्भपात की बढ़ती स्वीकृति ने भी प्रजनन दर में कमी में योगदान किया है। इसके अलावा, कई युवा लोग शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं, जिससे देश में प्रजनन दर और कम हो रही है।
5. **प्रजनन दर और प्रतिस्थापन स्तर :** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, TFR 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। प्रतिस्थापन स्तर 2.1 माना जाता है, जिसका मतलब है कि जनसंख्या का स्तर बिना किसी वृद्धि या गिरावट के स्थिर रहेगा।
6. **दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ पैदा होना :** भारत की वर्तमान जनसंख्या की तुलना में हालाँकि, 2.1 से कम कुल प्रजनन दर (TFR) नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं, जो वृद्ध होती जनसंख्या, का कारण बन सकती है।

निम्न प्रजनन दर के संभावित परिणाम :

1. **जनसंख्या का आयु-ध्रुव तीव्र गति से बढ़ना और वृद्ध होती जनसंख्या :** जन्म दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण जनसंख्या का आयु-ध्रुव तीव्र गति से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन लोग हैं, जो कुल जनसंख्या का 10.5% हैं। 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 347 मिलियन और जनसंख्या का 20.8% तक पहुँचने का अनुमान है।
2. **सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी खर्चे से उत्पन्न होने वाला आर्थिक प्रभाव :** युवा कार्यबल में कमी और वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के कारण निर्भरता अनुपात में वृद्धि हो रही है, जिससे सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव बढ़ेगा। पेंशन और वृद्धों की देखभाल की बढ़ती लागत से सरकार और परिवार दोनों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
3. **भारत को मध्य आय के जाल में फंसने का खतरा उत्पन्न होना :** विकसित देशों की तुलना में, जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है, भारत को बिना पर्याप्त आर्थिक संसाधनों के वृद्धावस्था के संकट का सामना करना पड़ रहा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ वृद्धि नहीं रहती है, तो उसे मध्य आय के जाल में फंसने का खतरा हो सकता है।

PLUTUS IAS

4. **श्रम बाजार पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव :** प्रजनन दर में गिरावट से कार्यबल में कमी आ सकती है, जो उत्पादकता में कमी और आर्थिक विकास में रुकावट का कारण बन सकता है।

निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण :

1. **जर्मनी :** जर्मनी में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए उदार श्रम कानून, पैतृक अवकाश और लाभों के कारण जर्मनी ने अपनी जन्म दर में वृद्धि हासिल की है।
2. **डेनमार्क :** डेनमार्क में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए वहां की 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषित इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है।
3. **रूस और पोलैंड :** रूस और पोलैंड में निम्न प्रजनन दर से निपटने के लिए रूस में जहाँ अधिक बच्चों वाले परिवारों को एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन देता है, वहीं पोलैंड में एक से अधिक बच्चों वाले परिवारों को नकद सहायता प्रदान करता है।

समाधान / आगे की राह :

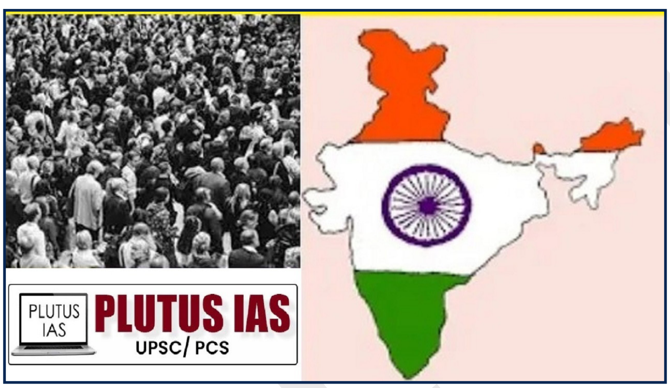

1. **श्रम बाजार के अनुसार नीतिगत स्तर पर सुधार करने की जरूरत :** भारत को श्रम बाजार की उपयुक्त नीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है, जैसा कि जर्मनी और डेनमार्क ने किया है। इसके तहत, कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने के लिए माता-पिता को अधिक लाभ और सहायता प्रदान की जा सकती है, ताकि वे प्रजनन दर को बढ़ावा दे सकें।
2. **डिजिटल और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण करने की जरूरत :** आजकल, एक बच्चे के पालन-पोषण पर 30 लाख से लेकर 1.2 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं, जिससे कई मध्यम वर्गीय परिवार इस जिम्मेदारी से हतोत्साहित हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, शिक्षा को सस्ता और उपलब्ध बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही, कौशल में असंगति की समस्या के समाधान हेतु डिजिटल और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण भी जरूरी है।
3. **जनांकिकीय लाभांश को सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की जरूरत :** भारत के नीति निर्माता अगर वृद्ध होती जनसंख्या को सहायता देने में सफल होते हैं, तो भारत का आर्थिक विकास सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा जनांकिकीय लाभांश का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करने से परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकती है।
4. **माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत :** भारत में माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बाल देखभाल संस्थानों को बढ़ावा देना और प्रसवपूर्व देखभाल को प्राथमिकता देना अत्यंत जरूरी है। तेलंगाना में गर्भावस्था किटों के वितरण जैसी पहलों का देशभर में विस्तार करके मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है, जिससे प्रजनन दर में भी सुधार हो सकता है।
5. **संवहनीय IVF सेवाओं को प्रोत्साहित करना और प्रजनन सहायता को मुहैया करवाना :** कामकाजी महिलाओं के लिए यह आवश्यक है कि उनके कॅरियर को प्रभावित किए बिना प्रजनन दर बढ़ाने के उपाय उपलब्ध हों। इसके लिए संवहनीय IVF उपचार और सरोगेसी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि अधिक परिवार बच्चों की परवरिश कर सकें।

स्त्रोत – राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हाल ही में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट का मुख्य कारण क्या है ?

1. महिला साक्षरता और महिलाओं का कार्यबल भागीदारी में वृद्धि होना।
2. विवाह, गर्भधारण और मातृत्व में देरी होना।
3. केवल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना।
4. उच्च श्रम मजदूरी और उच्च जीवन गुणवत्ता का होना।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 1 और 2

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, घटती प्रजनन दर और इससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता के मुख्य कारण क्या हैं? इसके साथ ही यह चर्चा कीजिए कि भारत में प्रजनन दर में गिरावट के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं और इसे सुधारने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत और अमेरिका : द्विपक्षीय संबंधों में नीतिगत परिवर्तनों का असर

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पद पर बैठते ही कई कार्यकारी आदेशों पर दस्तखत किए हैं।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी आदेशों में प्रमुख रूप से जन्मसिद्ध नागरिकता का अंत करना, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका का बाहर जाना और वैश्विक कॉर्पोरेट न्यूनतम कर (GCMT) समझौते को अस्वीकार करना शामिल है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के इन निर्णयों का प्रभाव भारत पर प्रत्यक्ष रूप से तो पड़ेगा ही, इसके साथ – ही – साथ वैश्विक जलवायु नीति और अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के जीवन पर भी इसका महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा।

अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता निरसन के प्रभाव :

- अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता की दो श्रेणियाँ हैं: वंश-आधारित और जन्मस्थान-आधारित। कार्यपालक आदेश के तहत, गैर-नागरिक माता-पिता से जन्मे बच्चे अब स्वचालित रूप से नागरिक नहीं माने जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य " बर्थ टूरिज्म " को नियंत्रित करना है, जो विशेष रूप से भारत और मैक्सिको जैसे देशों में प्रचलित है।

प्रभाव :

- H-1B वीज़ा धारक परिवारों पर असर : भारतीय पेशेवरों और उनके बच्चों की नागरिकता पर अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।
- **कानूनी चुनौतियाँ :** यह निर्णय अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के खिलाफ है, जो सभी जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। अदालत में चुनौती की संभावना।
- **आव्रजन नीतियाँ :** भारतीय नागरिक अन्य देशों जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर सकते हैं।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :** कुशल श्रमिकों की कमी से अमेरिका के IT और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न हो सकता है।

पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी के प्रभाव :

- पेरिस समझौता 2015 में जलवायु परिवर्तन पर किया गया एक वैश्विक समझौता था, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5°C तक सीमित करना था। अमेरिका की वापसी से इस समझौता पर निम्नलिखित प्रभाव पर सकता है –

1. **वैश्विक जलवायु लक्ष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ना :** अमेरिका के उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में कटौती से वैश्विक जलवायु लक्ष्य प्रभावित होंगे।
2. **जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता में कमी आना और विकसित देशों द्वारा समर्थन न करना :** विकासशील देशों को जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता में कमी आ सकती है और इसके साथ – ही – साथ इसमें विकसित देशों के समर्थन में कमी आ सकती है।
3. **नवीकरणीय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं को समर्थन देने में कमी आना :** अमेरिका द्वारा जलवायु नीति से पीछे हटने से नवीकरणीय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं को समर्थन में कमी हो सकती है।

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

WHO से अमेरिका के अलग होने से उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रभाव :

अमेरिका के पीछे हटने का मुख्य कारण :

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोविड-19 महामारी पर WHO की लापरवाही, सुधारों में विफलता, और चीन के प्रति नर्म रुख को इसके पीछे के कारणों के रूप में बताया। अमेरिका ने WHO को वित्तीय योगदान में 20% हिस्सा दिया था, जो पोलियो उन्मूलन और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में अहम था।

महत्वपूर्ण प्रभाव :

1. **WHO पर असर :** अमेरिका के जाने से WHO की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी, जिससे पोलियो और महामारी के लिए किए जा रहे प्रयास प्रभावित हो सकते हैं।
2. **वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों पर पड़ने वाला प्रभाव :** अमेरिका के बाहर जाने से वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों पर प्रभाव और WHO की भूमिका में कमी आएगी।
3. **अमेरिका की वैश्विक स्वास्थ्य खुफिया जानकारी पर पड़ने वाला प्रभाव :** अमेरिका की वैश्विक स्वास्थ्य खुफिया जानकारी पर असर पड़ेगा, और उसके वैश्विक स्वास्थ्य निर्णयों पर प्रभाव घट सकता है।
4. **भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर पड़ने वाला प्रभाव :** WHO से अमेरिका की विदाई से भारत जैसे देशों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में देरी हो सकती है, विशेष रूप से HIV और तपेदिक जैसी बीमारियों पर।
5. **वैश्विक दक्षिण में बदलाव और भारत को वैश्विक नेतृत्व करने का अवसर मिलने की संभावना :** अमेरिका के बाहर होने से भारत जैसे देशों को अधिक वैश्विक नेतृत्व का अवसर मिल सकता है और वे विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में सक्रिय हो सकते हैं।

भारत उभरती अमेरिकी नीतियों के तहत सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकता है ?

1. **भारत – अमेरिकी नीतियों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर समावेशी और प्रभावी कूटनीतिक रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता :** भारत को अपने अप्रवासी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कूटनीतिक रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय नागरिक और प्रवासी अमेरिकी नीतियों के तहत संरक्षित रहें। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर भारत अमेरिकी नीतियों में ऐसे बदलाव की वकालत कर सकता है, जो भारतीय प्रवासियों के लिए अधिक समावेशी और सहायक हों, जिससे न्यायपूर्ण और संतुलित वातावरण सुनिश्चित हो।
2. **भारत को अपने सामरिक और कूटनीतिक हितों के लिए क्वाड सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की जरूरत :** अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन को मजबूत करने से न केवल क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि होगी, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित किया जा सकेगा, जो भारत के सामरिक और कूटनीतिक हितों के लिए फायदेमंद होगा।
3. **भारत को अपने हरित परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण एवं जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने में नेतृत्व प्रदान करने आवश्यकता :** भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी भूमिका को बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन-सौर हाइब्रिड नीति जैसे कार्यक्रमों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेज़ी लानी चाहिए। यूरोपीय संघ, जापान और पेरिस समझौते के अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग करके, भारत हरित परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण सुरक्षित कर सकता है, जिससे जलवायु संकट से निपटने में मदद मिलेगी।
4. **भारत को वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने की जरूरत :** भारत अपनी फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुभव का लाभ उठा सकता है, जैसा कि कोविड-19 वैक्सीन वितरण में देखा गया। अमेरिका की WHO में कम भागीदारी से उत्पन्न अंतराल को भरने के लिए, भारत अपनी विशेषज्ञता का उपयोग कर सकता है और WHO में प्रमुख पदों पर भारतीय पेशेवरों की नियुक्ति को बढ़ावा दे सकता है। इससे वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
5. **भारत को यूरोपीय संघ और BRICS के सदस्य देशों के साथ बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** अमेरिका की नीतियों के बदलाव से प्रभावित देशों (जैसे यूरोपीय संघ और BRICS सदस्य) के साथ साझेदारी स्थापित कर, भारत सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रभावी गठबंधन बना सकता है, जिससे वैश्विक मंचों पर उसका प्रभाव बढ़ेगा।

समाधान / आगे की राह :

1. **समावेशी और सहायक नीतियाँ बनाने के लिए कूटनीतिक उपाय अपनाने की जरूरत :** भारत को अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में बदलती नीतियों के तहत भारतीय समुदाय और पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत को वैश्विक मंचों पर सक्रिय रूप से अमेरिकी नीतियों में बदलाव के लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि समावेशी और सहायक नीतियाँ बनाई जा सकें।
2. **अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर विचार करने और द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देने की जरूरत :** भारत को व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर विचार करना चाहिए, जिससे भारतीय कंपनियाँ और उत्पाद अमेरिकी बाजार में बेहतर स्थिति में आ सकें।
3. **भारत को हरित परियोजनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन में सक्रिय नेतृत्व करने की जरूरत** : भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को तेज़ी से पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए। अमेरिका के बाहर होने के बावजूद, भारत को यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों के साथ हरित परियोजनाओं के लिए साझेदारी बढ़ानी चाहिए।
4. **भारत को अपनी फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर वैश्विक नेतृत्व करने की जरूरत :** भारत को अपनी फार्मास्युटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। वैश्विक स्वास्थ्य नीति में सक्रिय रूप से भाग लेकर, विशेष रूप से WHO के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है।
5. **भारत को बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने की जरूरत :** भारत को बहुपक्षीय मंचों जैसे BRICS, G20, और संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय रहना चाहिए। इन मंचों के माध्यम से, भारत अमेरिका के बिना भी वैश्विक सहयोग और प्रभाव बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष :

- अमेरिका की बदलती नीतियाँ भारत के लिए चुनौतियाँ तो उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन यदि भारत इन परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करता है, तो वह न केवल इन नीतियों के प्रभाव से उबर सकता है, बल्कि अपनी वैश्विक भूमिका को भी मजबूत कर सकता है।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अमेरिका की हालिया नीतियों के बदलाव के बावजूद भारत किस प्रकार अपनी भूमिका को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर सकता है?

1. क्वाड सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देकर।
2. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण प्राप्त करके।
3. WHO में अपनी विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करके।
4. बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ाकर।

नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें।

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

व्याख्या : भारत को इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने की जरूरत है, ताकि वह अमेरिकी नीतियों के बदलाव के बावजूद वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सके।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हाल ही में किए गए कार्यकारी आदेशों से भारत – अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों के तहत भारतीय पेशेवरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और भारत इन बदलती नीतियों के तहत कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकता है ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

भारत में मौलिक अधिकार बनाम आवश्यक धार्मिक आचरण का हिस्सा

खबरों में क्यों ?

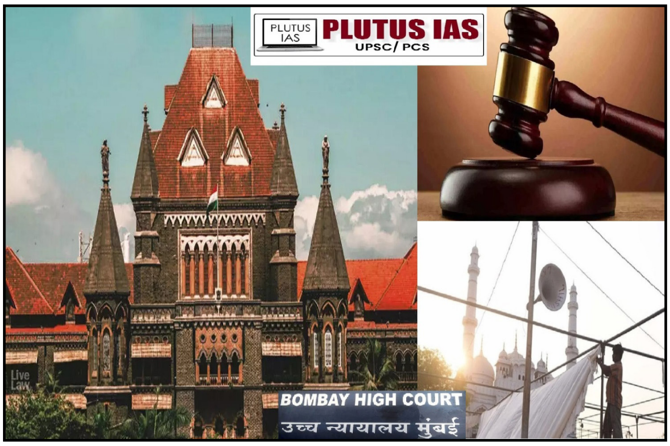

- हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत किसी धार्मिक कृत्य का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
- बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर डॉ. महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र मामले में, 2016 में, उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया गया है।
- उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं है और केवल कुछ विशिष्ट धार्मिक या सांस्कृतिक घटनाओं (जो साल में 15 दिन होती हैं) को छोड़कर, शांत क्षेत्रों में तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- तेज ध्वनि और शोर को "वायु प्रदूषक" माना जाता है, और इसे वायु (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत नियंत्रित किया जाता है।
- वायु (प्रदूषण नियंत्रण और निवारण) अधिनियम, 1981 के तहत आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम ध्वनि स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल से अधिक नहीं होने चाहिए।

भारत में मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :

- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत सहित कई देशों के संविधान में निहित है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने पसंदीदा धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसे प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है। अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर, यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (अनुच्छेद 18) और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (अनुच्छेद 18) के तहत संरक्षित है। भारत में, संविधान के अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जो नागरिकों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन किसी भी धर्म को अपनाने, उसे मानने और फैलाने का अधिकार प्रदान करती है।

1. **आवश्यक धार्मिक आचरण (ERP) :** यह किसी धर्म के आवश्यक सिद्धांत से संबंधित क्रिया है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया गया है। न्यायपालिका ERP का निर्धारण धर्म के सिद्धांतों के आधार पर करती है।
2. **संथारा (सल्लेखना) :** सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें संथारा को धर्म के लिए आवश्यक नहीं माना गया था, और इसे जारी रखने की अनुमति दी।
3. **तीन तलाक मामला :** सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और इसे आवश्यक इस्लामी आचरण नहीं माना, साथ ही इसे महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन माना।
4. **धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हैं।
5. **अनुच्छेद 25 :** यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसे प्रचारित करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है।
6. **अनुच्छेद 26 :** धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना, संपत्ति के स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार देता है।
7. **अनुच्छेद 27 :** किसी व्यक्ति को अपने करों से किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
8. **अनुच्छेद 28 :** राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती है , जब तक कि अभिभावक की सहमति न हो।

- इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को महत्व देता है, जबकि इसे सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य आवश्यक सीमाओं के तहत नियंत्रित करता है।

PLUTUS IAS

धार्मिक स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय :

1. **आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरुर मठ (1954) :** इस मामले में कोर्ट ने यह माना कि धार्मिक अनुष्ठान केवल उन प्रथाओं को शामिल करते हैं जो किसी धर्म के अभिन्न अंग हैं। इसके साथ ही, राज्य को धर्म से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल "आवश्यक" धार्मिक प्रथाओं को ही संविधान द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

2. **मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य (1958) :** इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और इसे राज्य द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3. **दरगाह समिति, अजमेर बनाम सैयद हुसैन अली (1961) :** कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल धार्मिक प्रथाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए जो धर्म के लिए आवश्यक हैं, न कि सभी प्रथाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए।

4. **आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता (1984) :** इसमें कोर्ट ने माना कि आनंद मार्गियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तांडव नृत्य और घातक हथियारों के साथ जुलूस निकालना धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है, और इसे सार्वजनिक व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।

5. **डॉ. एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ (1994) :** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद, मंदिर और चर्च जैसी धार्मिक संपत्तियां धार्मिक प्रथाओं के लिए आवश्यक नहीं हैं, और राज्य इन्हें अधिग्रहित कर सकता है।

6. **बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1987) :** इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि छात्रों का राष्ट्रगान गाने से मना करना धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, और इसे संविधान के तहत संरक्षित किया गया है।

7. **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) :** इस मामले में **न्यायालय** ने भारत में तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया और व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता जताई।

8. **सबरीमाला मंदिर मामला (2018) :** इस मामले में कोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक माना और उन्हें पूजा स्थलों तक समान पहुंच का अधिकार दिया।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं :

1. धार्मिक स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संवैधानिक मूल्यों के हित में सीमित हो सकती है। अतः भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं विभिन्न परिस्थितियों और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर तय की जाती हैं।

2. **प्रतिबंध :** धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में सीमित हो सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 25(2) राज्य को आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है।

3. **अनिवार्यता का सिद्धांत :** संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत केवल अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित करता है कि कौन सी धार्मिक प्रथाएं अनिवार्य हैं और उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा।

4. **अन्य मौलिक अधिकारों के साथ टकराव :** धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कभी-कभी अन्य मौलिक अधिकारों, जैसे समानता और जीवन के अधिकार से टकराता है। उदाहरण के तौर पर, सबरीमाला मंदिर मामला धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के समानता के अधिकार के बीच संतुलन का उदाहरण है।

5. **राज्य का हस्तक्षेप :** धार्मिक प्रथाओं में राज्य का हस्तक्षेप और दुरुपयोग की संभावना पर अभी भी बहस जारी है। हिजाब पहनने का अधिकार इस संदर्भ में एक प्रमुख विवाद है, जो धार्मिक अभिव्यक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में समानता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती प्रस्तुत करता है।

6. **अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था का संतुलन :** राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डालने वाला एक प्रमुख मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और कानूनी दावों के बीच संतुलन रखते हुए विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, साथ ही मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का निर्णय दिया था।

समाधान / आगे की राह :

1. **मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संवैधानिक दृष्टिकोण, न्यायिक व्याख्याओं और समाज की विविधता को समझना आवश्यक होना :** भारत में मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संतुलन एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रताओं के टकराव को जन्म दे सकता है। इसका समाधान संवैधानिक दृष्टिकोण, न्यायिक व्याख्याओं और समाज की विविधता को समझते हुए किया जा सकता है।
2. **धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता का न्यायिक निर्धारण तय करना :** सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि कौन सी धार्मिक प्रथाएँ किसी धर्म के अभिन्न हिस्से के रूप में मानी जाती हैं और केवल उन्हीं को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए न्यायालय को धर्म के सिद्धांतों और समय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना होगा।
3. **मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन की जरूरत :** न्यायालयों को मौलिक अधिकारों (जैसे समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, सबरीमाला मामले में न्यायालय ने महिलाओं के समान अधिकार की रक्षा की, जबकि धार्मिक परंपराओं में भेदभाव को अस्वीकार किया।
4. **समाज में सहिष्णुता और संवाद को बढ़ावा देने की जरूरत :** धार्मिक स्वतंत्रता और आचरण के बीच विवादों के समाधान में समाज में सहिष्णुता और संवाद का बढ़ावा देना जरूरी है। जब समाज में समझ और खुले संवाद की भावना होगी, तो धार्मिक विवादों का समाधान स्वाभाविक रूप से निकल सकेगा।
5. **धार्मिक प्रथाओं के लिए राज्य की हस्तक्षेप की स्पष्ट सीमाओं को तय करने की जरूरत :** राज्य को धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक वे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के खिलाफ न हो। धार्मिक संस्थाओं और समुदायों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन जब यह स्वतंत्रता दूसरों के अधिकारों और समाज की व्यवस्था को प्रभावित करने लगे, तब राज्य को सही समय पर हस्तक्षेप करना चाहिए।
6. **धार्मिक शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक :** शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अभिव्यक्ति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए और उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए।
7. **न्यायालयों द्वारा संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन को रोकना :** जब भी धार्मिक आचरण और मौलिक अधिकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो, न्यायालय को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही निर्णय लेने चाहिए। इस प्रक्रिया में, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक सिद्धांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष : भारत में मौलिक अधिकारों और धार्मिक आचरण के बीच सही संतुलन स्थापित करने के लिए न्यायिक विवेक, संवैधानिक सिद्धांतों और समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझते हुए निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। संविधान और न्यायालय का मार्गदर्शन इस संतुलन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत – मुंबई उच्च न्यायालय का आधिकारिक वेबसाइट एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन-कौन से अनुच्छेद आते हैं ?

1. अनुच्छेद 25
2. अनुच्छेद 26
3. अनुच्छेद 27
4. अनुच्छेद 28

नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें।

A. केवल 1, 3 और 4

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में मौलिक अधिकारों और आवश्यक धार्मिक आचरण के बीच संतुलन स्थापित करने में क्या चुनौतियाँ हैं और न्यायालयों को इस संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के समाधान के उपायों को अपनाने की जरूरत है ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, गैर सरकारी संगठन ' प्रथम फाउंडेशन ' द्वारा भारत के ग्रामीण इलाकों के छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन पर आधारित वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 प्रकाशित की गई है।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2024 में 605 ग्रामीण जिलों के कुल 17,997 गाँवों में किए गए व्यापक सर्वेक्षण का आंकलन किया गया है।
- वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 में 3 से 16 वर्ष की आयु के कुल 649,491 बच्चों के डेटा को शामिल किया गया है, और 5 से 16 वर्ष तक के 5 लाख से अधिक बच्चों के पढ़ाई और गणितीय, अंकगणितीय ज्ञान की क्षमताओं का मूल्यांकन किया गया है।

ASER क्या है ?

1. ASER (Annual Status of Education Report) एक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित, नागरिक नेतृत्व वाली एक व्यापक घरेलू सर्वेक्षण पहल है, जो विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और उनके अधिगम के स्तर का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।
2. इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, और तब से यह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रवृत्तियों और प्रमुख चुनौतियों का निरंतर अवलोकन करती आई है।
3. इस रिपोर्ट को हर वर्ष के उद्देश्य, फोकस और विस्तार के आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जाता है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा के वास्तविक हालात का सही मूल्यांकन किया जा सके।

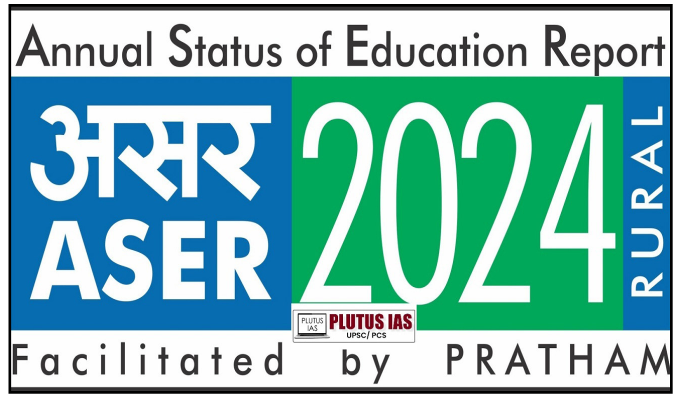

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) का फोकस / केंद्रित क्षेत्र :

1. **नामांकन की स्थिति के आधार पर सुधारों और चुनौतियों का विश्लेषण करना :** ASER स्कूल और प्री-स्कूल के नामांकन को ट्रैक करता है, और प्रत्येक राज्य तथा आयु समूह के आधार पर सुधारों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है।
2. **अधिगम के परिणामों तथा अंकगणितीय क्षमताओं के मूल्यांकन करना :** इस वार्षिक रिपोर्ट का मुख्य फोकस बच्चों की पढ़ने और अंकगणितीय क्षमताओं के मूल्यांकन पर होता है, ताकि यह समझा जा सके कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की प्रगति कैसी है।
3. **डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना :** वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में बच्चों के स्मार्टफोन उपयोग और तकनीकी कौशलों जैसे कि अलार्म सेट करना, इंटरनेट ब्राउज़िंग, और संदेश भेजने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 का मुख्य निष्कर्ष :

1. **प्री-प्राइमरी (3-5 वर्ष) :** आंगनवाड़ी और प्रीस्कूलों में नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है। उदाहरण स्वरूप, 3 वर्ष की आयु में बच्चों का नामांकन 2018 में 68.1% था, जो 2024 में बढ़कर 77.4% हो गया है।
2. **प्राथमिक शिक्षा (6-14 वर्ष) :** भारत में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन का प्रतिशत वर्ष 2022 में 98.4% था, जो अब वर्ष 2024 में 98.1% रह गया है। हालांकि सरकारी स्कूलों में नामांकन में 7.9% की गिरावट आई है।
3. **बड़े बच्चे (15-16 वर्ष) :** इस आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है, वर्ष 2018 में यह दर 13.1% थी, जो वर्ष 2024 में घटकर 7.9% हो गई है।
4. **डिजिटल साक्षरता का उपयोग :** भारत में लगभग 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन तक पहुँच है, और उनमें से अधिकांश सोशल मीडिया के लिए इसका उपयोग करते हैं।

PLUTUS IAS

5. **साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में वृद्धि :** भारत में 80% से अधिक स्कूलों में FLN (बुनियादी साक्षरता और अंकगणितीय कौशल) गतिविधियाँ लागू की गई हैं।

6. **शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं में सुधार होना :** छात्र और शिक्षक दोनों की उपस्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा, स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय और पेयजल की उपलब्धता में भी सुधार देखा गया है।

7. **भारत के स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 प्रभाव :** महामारी के बाद से शिक्षा के परिणामों में राज्य-स्तरीय भिन्नताएँ देखी गई हैं। कुछ राज्यों में कक्षा III के बच्चों के पढ़ने की क्षमता में कमी आई है, जबकि अधिकांश राज्यों में अंकगणित में सुधार हुआ है।

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) का महत्त्व :

1. **भविष्य की शिक्षा का आधार प्रदान करना :** भारत में वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा भविष्य में उच्च शिक्षा और करियर जैसे पढ़ाई, लेखन, गणित और समस्या समाधान के लिए आवश्यक मूलभूत कौशल प्रदान करती है।

2. **सामाजिक कौशल का विकास को बढ़ावा देना :** यह बच्चों को सहपाठियों और शिक्षकों के साथ बेहतर संवाद, टीम वर्क और सहानुभूति जैसे सामाजिक कौशल सिखाती है।

3. **व्यक्तिगत एवं भावनात्मक आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ावा देना :** भारत में प्रारंभिक शिक्षा बच्चों में आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ावा देती है, जिससे वे अपनी क्षमता और रचनात्मकता को पहचान सकते हैं।

4. **बच्चों के सूक्ष्म और मोटर कौशल में सुधार करने में सहायक होना :** भारत के स्कूलों में आयोजित होनेवाली खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियाँ बच्चों के सूक्ष्म और स्थूल मोटर कौशल को बेहतर बनाती हैं।

5. **नागरिक जिम्मेदारियाँ, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में सीखना :** स्कूलों में बच्चे स्वच्छता, नागरिक जिम्मेदारियाँ और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में सीखते हैं, जिससे वे भविष्य में जागरूक नागरिक बनते हैं।

6. **शिक्षा में निवेश से दीर्घकालिक रूप से पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव :** प्रारंभिक शिक्षा में निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक विकास, नवाचार और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

मुख्य चुनौतियाँ :

1. **अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना होना :** भारत के 14.71 लाख स्कूलों में से 1.52 लाख में बिजली की सुविधा नहीं है, जिससे प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग करने में कठिनाई होती है।

2. **शौचालयों की कमी होना :** इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 67,000 स्कूलों में, जिनमें से 46,000 सरकारी हैं, कार्यशील शौचालयों का अभाव है। दिव्यांगों के लिए शौचालय केवल 33.2% स्कूलों में उपलब्ध हैं, और उनमें से अधिकांश क्रियाशील नहीं हैं।

3. **प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच का होना :** भारत के विभिन्न राज्यों के सरकारी स्कूलों में केवल 43.5% के पास कंप्यूटर हैं, जबकि निजी स्कूलों में यह आंकड़ा 70.9% है।

4. **छात्र – शिक्षक अनुपात में कमी होना :** भारत में लगभग 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक शिक्षक ही है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होता।

5. **भारत में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजन का व्याप्त होना :** भारत में जाति, वर्ग, ग्रामीण-शहरी भेदभाव और लैंगिक असमानताएँ शिक्षा की गुणवत्ता और वितरण को प्रभावित करती हैं।

6. **क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री की कमी के कारण भारत में भाषा – संबंधी समस्याओं का होना :** भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री की कमी के कारण, हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता न रखने वाले बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच सीमित हो जाती है।

भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल :

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षा कार्यक्रम
- सर्व शिक्षा अभियान
- प्रज्ञाता
- मध्याह्न भोजन योजनाबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- पीएम श्री स्कूल योजना
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

समाधान / आगे की राह :

1. **शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्त-क्षेप की जरूरत :** सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
2. **अंशकालिक शिक्षा के तहत विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाने की जरूरत :** उन बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए जिन्हें काम करने या घरेलू सहायता की आवश्यकता होती है।
3. **साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता अभियानों को विस्तार करने की आवश्यकता :** स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए सा-क्षरता अभियानों का विस्तार किया जाना चाहिए।
4. **जवाबदेही और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत :** शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए ज़िला स्कूल बोर्डों की स्थापना और स्कूल निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।
5. **स्कूलों की उपलब्धता और उस तक पहुँच को सुनिश्चित करने की जरूरत :** विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाकर, 1 किलोमीटर के अंदर शिक्षा का अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
6. **अभिभावकों को जागरूक एवं शिक्षित करने की जरूरत :** अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए, खासकर बालिकाओं के संदर्भ में, ताकि वे शिक्षा के प्रभाव को समझ सकें।

स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 में भारत की शिक्षा व्यवस्था में कौन-सी प्रमुख चुनौती को चिन्हित किया गया है?

1. अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना।
2. शिक्षा के लिए पर्याप्त सरकारी निधि का होना।
3. छात्रों का उच्च विद्यालय में नामांकन।
4. सामाजिक विभाजन और लैंगिक असमानताएँ।

उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सही उत्तर है ?

A. केवल 1 और 4
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2 और 4
D. केवल 1 और 3

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 के अनुसार, भारत के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति, उसके प्रमुख निष्कर्ष, प्रमुख चुनौतियाँ और शिक्षा सुधार के लिए किए गए सरकारी प्रयासों के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके समाधान के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे ?
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत के नौकरशाही में लेटरल एंट्री बनाम कड़ी प्रतिस्पर्धा

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, भारत में निजी क्षेत्र के पेशेवरों को वरिष्ठ नौकरशाही में अनुबंध के आधार पर शामिल करने वाली लेटरल एंट्री योजना (LES) एक कानूनी और राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है।

PLUTUS IAS

- भारत के नौकरशाही के क्षेत्र में लेटरल एंट्री योजना वर्ष 2019 से लागू हुई थी और इसके तहत अब तक 63 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में वैधानिक ढाँचे की कमी और हाशिये पर स्थित समुदायों के आरक्षण अधिकारों पर चिंता जताई जा रही है।
- इस योजना से संबंधित पहला कानूनी विवाद फरवरी 2020 में उत्पन्न हुआ था , जब IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने इस योजना के प्रक्रियागत और विधिक जटिलताओं को लेकर नैनीताल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में इसे चुनौती दी थी।

नौकरशाही में लेटरल एंट्री योजना से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :

लेटरल एंट्री योजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **योजना की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठना :** इस योजना को संविधान के अनुच्छेद 309 के विपरीत बताया गया है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं को लोक सेवकों की भर्ती और उनके सेवा नियमों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत आरक्षण प्रावधानों को समाप्त करने से सामाजिक न्याय और संविधानिक सिद्धांतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
2. **बहुत कम समय का कार्यकाल होने के कारण शासन में स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त होना :** लेटरल एंट्री के तहत नियुक्तियों के लिए निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल बहुत कम समझा जाता है, क्योंकि यह शासन में स्थिरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है।
3. **रिक्तियों के लिए पैनल-बद्ध अधिकारियों की अधिक संख्या और सामूहिक भर्ती प्रक्रिया :** सरकार ने इसे अनुच्छेद 310 के आधार पर उचित ठहराया है, जो राष्ट्रपति को विशेषज्ञों की नियुक्ति का अधिकार देता है। हालांकि, आलोचक इस पर आपत्ति जताते हैं कि यह योजना वरिष्ठ अस्थायी पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति के लिए नहीं है। इसके साथ ही, अधिकारियों की भारी संख्या को देखते हुए इसकी वास्तविक आवश्यकता पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक पद के लिए 18 पैनलबद्ध अधिकारी नियुक्त हैं।
4. **योजना के पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना :** इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के पेशेवरों की भर्ती से सरकारी नीतियों पर उनका प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे पूर्वाग्रह और हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा, पृष्ठभूमि जांच और सतर्कता मंजूरी की सख्त प्रक्रिया की कमी से इस योजना के पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
5. नौकरशाही के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना : लेटरल एंट्री की संख्या में वृद्धि से मौजूदा नौकरशाहों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वे इसे बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देख सकते हैं, जिससे पदानुक्रम और प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, और यह शत्रुता को भी बढ़ावा दे सकता है।

लेटरल एंट्री स्कीम (LES) से संबंधित प्रमुख बिंदु :

1. **लेटरल एंट्री की शुरुआत :** LES, जिसे 2018 में लागू किया गया, एक विशेष भर्ती प्रक्रिया है, जो निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं को छोड़कर सीधे मध्य-स्तरीय या उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त करने की सुविधा देती है। इन्हें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा तीन साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, और इसे अधिकतम पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
2. **आरक्षण के प्रावधान से बाहर रखना :** इस योजना के तहत भर्ती किए गए व्यक्तियों को "एकल पद" माना जाता है, इसलिए इन्हें SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के लिए आरक्षण के कोटे से बाहर रखा गया है।
3. **भर्ती आंकड़े :** वर्ष 2018 से अब तक 63 व्यक्तियों को लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है। इनमें से 57 अगस्त 2023 तक कार्यरत थे। हालांकि, आरक्षण संबंधी विवादों के कारण UPSC ने अगस्त 2024 में 45 वरिष्ठ पदों पर नई भर्ती पर रोक लगा दी है।

सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के लाभ :

1. **विशेषज्ञ पेशेवरों की भर्ती :** लेटरल एंट्री से प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, और वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ पेशेवरों की भर्ती संभव हो पाती है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान का अभाव पूरा होता है, जिसे सामान्य सिविल सेवक नहीं कर सकते। अतः यह योजना ज्ञान की कमी को दूर करने में मदद करती है।
2. **कुशल प्रशासन :** यह योजना सरकारी एजेंसियों में दक्षता बढ़ाने और लगभग 1500 IAS अधिकारियों की कमी को

पूरा करने में सहायक हो सकती है, जिससे प्रशासन में सुधार आता है।

3. **कार्य संस्कृति में सुधार :** इस योजना के तहत निजी क्षेत्र से आए पेशेवरों से सरकार के कामकाजी ढांचे में सुधार की संभावना है, जिससे अधिक गतिशील और परिणाम-उन्मुख शासन की दिशा में बढ़ावा मिलेगा जो भारत में नौकरशाही की निष्क्रियता में सुधार कर सकता है।

4. **बहु-अभिकर्ता सहभागी और समावेशी शासन को बढ़ावा मिलना :** यह योजना निजी क्षेत्र और गैर-लाभकारी संस्थाओं के पेशेवरों को सरकारी कार्यों में शामिल करने की दिशा में सहायक होती है, जिससे बहु-अभिकर्ता सहयोग और सहभागी शासन की स्थिति को बढ़ावा मिलता है।

समाधान / आगे की राह :

1. **दोहरी प्रवेश प्रणाली :** भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने एक दोहरी प्रवेश प्रणाली का प्रस्ताव किया था, जिसमें 25 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लिए पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया और 37 से 42 वर्ष के आयु वर्ग के लिए मध्य-करियर पार्श्व प्रवेश की व्यवस्था शामिल थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था, संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को सरकार में लाना। इसके अतिरिक्त, युवा और गतिशील प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए संयुक्त सचिव पदों के लिए आयु सीमा में छूट देने का भी सुझाव दिया गया था।

2. **लेटरल एंट्री से आए प्रवेशकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण सुनिश्चित करना :** निजी क्षेत्र से सरकारी पदों पर आने वाले पार्श्व प्रवेशकर्ताओं को प्रभावी रूप से सरकारी कामकाजी माहौल में समायोजित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए एक समर्पित प्रशासनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जो इन व्यक्तियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकारी कार्यशैली में प्रशिक्षित कर सके।

3. **शासन प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, नवाचार और क्षेत्रीय विशेषज्ञता में वृद्धि होना :** यदि IAS और IPS अधिकारियों को निजी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, तो इससे शासन प्रणाली में प्रतिस्पर्धा, नवाचार और क्षेत्रीय विशेषज्ञता में वृद्धि हो सकती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित करने में सहायक होगा, जिससे शासन की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. लेटरल एंट्री योजना (LES) के तहत नियुक्त किए गए व्यक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है?

1. उन्हें आरक्षण के प्रावधान से बाहर रखा गया है।
2. उन्हें केवल सरकारी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती किया जाता है।
3. उन्हें विशेष श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC, EWS के तहत आरक्षण मिलता है।
4. उन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है और उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 4

B. केवल 1 और 3

C. केवल 2 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में निजी क्षेत्र के पेशेवरों को वरिष्ठ नौकरशाही में अनुबंध के आधार पर शामिल करने वाली लेटरल एंट्री योजना (LES) से संबंधित कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किस प्रकार के समाधान या सुधार आवश्यकता है ? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

संप्रभु संपदा निधि : भारत के आर्थिक विकास का नया मार्ग

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के केन्द्रीय बजट को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने यह कहा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के निष्क्रिय रूप से पड़े हुए राष्ट्रीय संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए संप्रभु संपत्ति कोष (Sovereign Wealth Fund- BSWF) या भारत निधि (TBF) स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

PLUTUS IAS

संप्रभु संपदा निधि (SWF) क्या होता है ?

- संप्रभु संपदा निधि (SWF) एक सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय निधि होती है, जो प्रायः सरकार के अधिशेष संसाधनों से बनाई जाती है।
- यह अधिशेष विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, व्यापार अधिशेष या बजट अधिशेष।
- संप्रभु संपदा निधि (SWF) का मुख्य उद्देश्य सरकार को रणनीतिक निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधनों का सृजन करना है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता और विकास सु-निश्चित हो सके।

संप्रभु संपत्ति कोष की प्रमुख विशेषताएँ :

सैंटियागो सिद्धांत (2008) के अनुसार, SWF को तीन प्रमुख मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है:

1. इसे सरकारी स्वामित्व में रखा जाता है, जिसमें केंद्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारें दोनों शामिल हैं।
2. इसमें मुख्य रूप से विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है।
3. इसका निवेश मुख्य रूप से वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
4. इनमें पेंशन फंड्स और केंद्रीय बैंक की आरक्षित परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं होती है।

संप्रभु संपत्ति निधि के विभिन्न प्रकार :

1. **स्थिरीकरण निधि :** यह निधि अस्थिर राजस्व को संभालने के लिए बनाई जाती है, ताकि राजकोषीय स्थिरता बनी रहे।
2. **भावी पीढ़ी निधि :** इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए दीर्घकालिक निवेश करना है।
3. **सार्वजनिक लाभ पेंशन रिज़र्व निधि :** इसके तहत पेंशन प्रणालियों को वित्तपोषित करने के लिए इसे दीर्घकालिक दायित्वों के लिए उपयोग किया जाता है।
4. **आरक्षित निवेश निधि :** इसके तहत मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में वृद्धि करने के लिए इसे प्रबंधित किया जाता है।
5. **रणनीतिक विकास से संबंधित SWF :** इसके तहत इसमें राष्ट्रीय विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करता है।
6. **विदेशी मुद्रा आरक्षित परिसंपत्तियाँ :** यह मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक व्यापार में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयोग की जाती हैं।

कुछ प्रमुख उदाहरण :

- नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर),
- चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (1.35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर),
- अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (993 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।

भारत में SWF का इतिहास :

1. भारत में SWF का विचार 2007-08 में पूंजी प्रवाह में वृद्धि के कारण उठाया गया था, लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसकी गति धीमी पड़ी।
2. वर्ष 2010-11 में योजना आयोग ने इसे पुनर्जीवित किया और 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष के निर्माण का प्रस्ताव दिया।
3. वर्ष 2015 में भारत ने NIIF की स्थापना की, जो देश का प्रमुख संरचित निवेश कोष बन चुका है।

सैंटियागो सिद्धांत : यह एक स्वैच्छिक दिशा निर्देशों का समूह है जो SWF के लिए पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विवेकपूर्ण निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत 2008 में IFSWF द्वारा स्थापित किए गए थे, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है।

भारत को संप्रभु संपदा निधि (SWF) की आवश्यकता क्यों है ?

1. **सार्वजनिक संपत्ति का अनलॉक करने के लिए :** SWF के माध्यम से राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों में निवेश करके और उनसे बेहतर रिटर्न प्राप्त कर, इसके तहत भारत के 80 सूचीबद्ध उद्यमों से करीब 40 लाख करोड़ रुपये (450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रबंधन संभव हो सकता है।
2. **राजकोषीय घाटे में कमी को दूर करने के लिए :** सरकारी इक्विटी के 2% विनिवेश से हर साल 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आय हो सकती है, जिससे भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% से घटकर 4.6% तक कम हो सकता है।
3. **निवेश में विविधता लाकर उच्च रिटर्न की संभावना बढ़ना :** वर्ष 2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट से यह स्पष्ट हुआ कि अमेरिकी ट्रेजरी जैसी 'सुरक्षित' प्रतिभूतियों पर निर्भर रहने के खतरे हैं। SWF से निवेश में विविधता लाकर उच्च रिटर्न की संभावना बढ़ सकती है।

4. **अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार का लाभ उठाने के लिए :** भारत के पास अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार (जो लगभग नौ महीने के आयात के बराबर है) है, जिसे राष्ट्रीय संपत्ति बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
5. **देश में दीर्घकालिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देकर रणनीतिक क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त करने के लिए :** SWF से इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ऊर्जा, अर्द्धचालक, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में निवेश करके भारत दीर्घकालिक विकास और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे वह वैश्विक नेतृत्व में स्थापित हो सकता है।
6. **देश के सामाजिक कल्याण कोष को बढ़ावा देने और राजकोषीय अनुकूलन में सुधार करने के लिए** : भारत के लिए SWF के जरिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और राष्ट्रीय विकास निवेशों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं, जिससे सामाजिक कल्याण कोष को बढ़ावा मिलेगा और राजकोषीय अनुकूलन में सुधार होगा।
7. **आपदा राहत में सहायता प्रदान करके भारत की सॉफ्ट पावर को प्रक्षिप्त करने के लिए :** SWF के माध्यम से भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, उदाहरण स्वरूप, नॉर्वे जैसे देशों के SWF में निवेश कर, आपदा राहत में सहायता प्रदान करके भारत की सॉफ्ट पावर को प्रक्षिप्त किया जा सकता है।

भारत में SWF से जुड़ी चिंताएँ :

1. **चालू खाता घाटा :** SWF आमतौर पर उन देशों के लिए होते हैं जिनके पास खनिज संपदा या व्यापार और बजट अधिशेष होते हैं, जबकि भारत लगातार चालू खाता घाटे और महत्वपूर्ण राजकोषीय घाटे का सामना कर रहा है।
2. **व्यापक आर्थिक जोखिम :** वैश्विक विकास में मंदी, बढ़ता संप्रभु ऋण, और वित्तीय सख्ती SWF के निवेश प्रतिफल को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ सकता है और वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
3. **भू-राजनीतिक तनाव :** वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और वैश्वीकरण से दूरी SWF निवेश रणनीतियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे सीमा पार निवेश, आपूर्ति शृंखलाएँ और व्यापार नीतियाँ संकटग्रस्त हो सकती हैं।
4. **पर्यावरणीय जोखिम :** यदि पर्यावरणीय नीतियाँ विफल होती हैं, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के मामलों में, तो SWF को जलवायु-प्रभावित उद्योगों और फंसी हुई परिसंपत्तियों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
5. **प्रौद्योगिकी में कमजोरियाँ :** SWF को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन का प्रबंधन करना होता है, जो धोखाधड़ी और डेटा चोरी जैसी बढ़ती हुई तकनीकी खतरों का सामना कर सकता है। इसके साथ ही, तेज़ी से बदलती प्रौद्योगिकी पारंपेरिक निवेश मॉडल को चुनौती दे सकती है।

समाधान / आगे की राह :

1. एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा स्थापित किए जाने की जरूरत : SWF के संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही और सैंटियागो सिद्धांतों के पालन को प्राथमिकता देते हुए, एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा स्थापित किया जाना चाहिए।
2. **रणनीतिक संपत्ति आवंटन में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** भारत की वैश्विक ताकत को बढ़ाने के लिए, उच्च विकास की क्षमता वाले क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), और सेमीकंडक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
3. **सह-निवेश करने का मॉडल को अपनाकर विशेषज्ञता का लाभ उठाने की जरूरत :** वैश्विक निवेश फंडों के साथ सह-निवेश करने का मॉडल अपनाया जा सकता है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता का फायदा उठाते हुए बेहतर निवेश निर्णय लिए जा सकें
4. **राजकोषीय घाटे और निवेश लक्ष्यों के बीच सही संतुलन स्थापित करने की जरूरत :** संसाधनों के आवंटन को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए, राजकोषीय घाटे और निवेश लक्ष्यों के बीच सही संतुलन स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।
5. **वित्तीय संकट जैसे आर्थिक जोखिमों को प्रबंधित करने की आवश्यकता :** बाजार में अस्थिरता और वित्तीय संकट जैसे आर्थिक जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करना आवश्यक है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
6. **जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों से बचाव करने की आवश्यकता :** जलवायु परिवर्तन से प्रभावित उद्योगों में निवेश से बचने के लिए ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है, ताकि फंसी हुई परिसंपत्तियों से बचा जा सके।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

Q.1. संप्रभु संपत्ति निधि (SWF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह सरकारी स्वामित्व में होती है।
2. संप्रभु संपत्ति निधि (SWF) केवल पेंशन फंड्स और केंद्रीय बैंक की आरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है।
3. संप्रभु संपत्ति निधि (SWF) का उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश के जरिए देश की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना है।
4. संप्रभु संपत्ति निधि (SWF) के निवेश का उद्देश्य केवल राजकोषीय घाटे को कम करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 1 और 4

D. केवल 2 और 3

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. संप्रभु संपत्ति निधि (SWF) क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? चर्चा कीजिए कि भारत में इसके महत्व एवं इससे जुड़ी चुनौतियाँ और इसके समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं ? (शब्द सीमा- 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS